उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

21 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 121/XXVIII(5)2021-08(सा0)/2020–राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर संविलियन नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल संवर्ग/ टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/ आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर संविलियन नियमावली, 2021 है।

(2) यह नियमावली उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभिन्न कार्मिक यथा–शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल संवर्ग/ टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य सेवा नियमावली या आदेश में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाऐं

3. इस नियमावली में, जब तक कि विषयों या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सेवा नियमों के अधीन उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियम 4(2) में उल्लिखित सेवा शर्त से अभिप्रेत है।

(ख) "उपलब्ध रिक्ति" से ऐसी रिक्त अभिप्रेत है, जो संविलियन की तिथि को स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त हो;

(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) "चयन बोर्ड" से उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "सेवा नियमावली" से शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/ टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों को शासित करने वाली नियमावालियों से अभिप्रेत है;

(च) "कार्यकारी आदेश" से उक्त पदों को शासित करने वाले कार्यकारी आदेश अभिप्रेत है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की कई है;

संविलियन हेतु पात्रता

4.(1) नियुक्ति प्राधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ सेवा संवर्ग में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक सम्बद्ध कार्यरत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का संविलियन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रवृत्त विभिन्न संवर्गो की नियमावलियों द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार करेगा।

(2) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध टीचिंग चिकित्सालयों में तैनात कार्मिक ही संविलियन हेतु पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऐसे कार्मिक, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग में सम्बन्धित पद पर तत्समय प्रवृत्त नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, का ही संविलियन रिक्त पदो के सापेक्ष किया जायेगा।

(4) संविलियन समकक्ष पद एवं समान वेतनमान में ही किया जायेगा।

आरक्षण

5. प्रत्येक पद पर संविलियन करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

संविलियन हेतु शर्तों का निर्धारण

6.(1) टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पद पर संविलियन आदेश में इंगित तिथि, सम्बन्धित कर्मचारी की चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में सम्बन्धित पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और उस तिथि के बाद सम्बन्धित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामले चिकित्सा शिक्षा विभाग की संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत व्यवहृत होंगे।

(2) संविलियन होने वाले कार्मिकों की चिकित्सा शिक्षा विभाग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही सेवा लाभ यथा–ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ के लिए गणना की जायेगी।

(3) संविलियन के पश्चात् कार्मिक की चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्ग में सम्बन्धित पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता सम्बन्धित संवर्ग के पद पर उनके मूल विभाग में मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर

निर्धारित करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों के नीचे ज्येष्ठता सूची में रखा जायेगा।

(4) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व के अर्जित अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश की गणना सम्बन्धित सेवा संवर्ग के अर्जित अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश के साथ किया जायेगा।

(5) कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 की राशि उनके भविष्य निधि लेखे में पूर्व की भाँति बनी रहेगी। जी0पी0एफ0 से अग्रिम की मांग पर पूर्व में जमा अवशेष की गणना की जायेगी। पूर्व में लिये गये विभागीय ऋण/भविष्य निधि से लिये गये अस्थाई अग्रिम की कटौतियाँ पूर्व में भांति निर्धारित शर्तो पर की जायेगी।

(6) उपरोक्त सन्दर्भित पदों में से किसी पद पर समायोजित होने वाले कार्मिक का वेतनमान यदि समयोजित होने वाले पद के न्यूनतम वेतनमान से कम होता है, तो उस स्थिति में कार्मिक को समयोजित होने वाले पद के वेतन मैट्रिक्स न्यूनतम सैल पर निर्धारित किया जायेगा। वेतन एवं भत्ते संरक्षित रहेगा।

(7) यदि किसी कार्मिक का वेतन समायोजित होने वाले पद के वेतन से अधिक होता है, तो अतिरिक्त वेतन को वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित किया जायेगा तथा भविष्य में वेतन वृद्धियों में आमेलित किया जायेगा।

नियुक्तियों को सुसंगत सेवा, नियमावली के अधीन किया गया समझा जायेगा

7. इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ, सम्बन्धित कार्मिक की चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न सेवा संवर्ग में टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ के अधीन की गयी नियुक्तियाँ समझी जायेंगी।

(2) संविलियन होने वाले कार्मिक से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि क्या वह इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन संविलियन हेतु सहमत हैं अथवा नहीं। यदि कोई कार्मिक अपने मूल विभाग में वापस जाना चाहें, तो उसके लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों के पद पर संविलियन हेतु इच्छुक नहीं है और उस दशा में उसे उसके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जायेगा और ऐसा कर्मचारी किसी प्रकार का प्रतिकर आदि का हकदार नहीं होगा।

(3) संविलियन के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 13–02–2021, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 चिकित्सा/132–17–03–2021–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।